न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/रायसेन/भू.रा./2018/0392 विरूद्ध आदेश दिनांक 30.11.2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 172/अपील/15-16.

—

1. श्रीमती बैनीबाई पत्नी स्व. जयसिंह
2. थानसिंह आ. स्व. जयसिंह
3. शैतानसिंह
4. दारासिंह
5. शिवराज
6. वृंदावन
7. राज भाई
8. कमलेश
9. श्रीमती गंगाबाई
10. श्रीमती पुनिया बाई

पुत्रगण एवं पुत्रियां स्व. श्री जयसिंह

समस्त निवासीगण ग्राम खिरेंटी,

तहसील बेगमगंज जिला रायसेन .....आवेदकगण

विरूद्ध

1. रामचरण आ. प्यारेलाल जाति कुशवाह
2. सूरजसिंह आ. प्यारेलाल

दोनों निवासीगण ग्रमा खिरेंटी

तहसील बेगमगंज जिला रायसेन

3. श्रीमती रामवती पुत्री प्यारेलाल पत्नी रेखाराम
4. श्रीमती सावित्रीबाई पुत्री प्यारेलाल पत्नी डालचंद

5. श्रीमती मुन्नीबाई पुत्री प्यारेलाल पत्नी राजाराम
6. श्रीमती रामकली बाई पुत्री प्यारेलाल पत्नी जवाहरसिंह
7. मानसिंह आ. श्री गनेश
8. धनसिंह पुत्र गनेश

   क्र. 3 से 8 तक निवासीगण ग्राम चुरक्का

   तहसील बेगमगंज जिला रायसेन
9. श्रीमती पूनाबाई पुत्री श्री गनेश पत्नी श्री परमू

   निवासी ग्राम हटा पोस्ट गेहूंरास

   तहसील जैसीनगर, जिला रायसेन .....अनावेदकगण

श्री जगदीश जैन, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 12/9/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित दिनांक 30.11.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण द्वारा ग्राम खिरैंटी तहसील बेगमगंज जिला रायसेन के भूमि कुल 8 किता रकबा 4.833 हेक्टेयर भूमि के दो हिस्सेदारों प्यारेलाल व स्व. खुशाल सिंह स्व. पुत्र खुमार सिंह में से मृतक खुशाल के स्वत्व की भूमि पर स्वयं के नामांतरण हेतु तहसीदार, बेगमगंज में धारा 109, 110 के अधीन इस आधार पर आवेदन पेश किया कि मृतक व उनकी पत्नी जो नि:संतान मृत हुए, उन्हीं के पास रहते थे, अत: नैसर्गिक न्याय के अंतर्गत् मृतकों की भूमि पर उनका ही स्वामित्व होता है। तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्र. 35/अ-6/13-14 दर्ज कर दिनांक 11.06.2015 को नामांतरण आदेश पारित किया गया। तहसीलदार के इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, बेगमगंज के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी

द्वारा दिनांक 26.12.2015 को आदेश पारित कर तहसीलदार के आदेश को स्थिर रखते हुए अपील निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30.11.2017 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि आवेदकगण के पिता 40 वर्षो से खुशाल के पास निवास करते थे तथा विवादित भूमि की देख-रेख आवेदकगण के पिता एवं पिता के बाद आवेदकगण ही भूमि पर फसल बोते चले आ रहे हैं। तर्क में यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदकगण द्वारा बताया गया कि खुशाल एवं प्यारेलाल का विवादित भूमि पर 1/2 हिस्सा बताया था एवं आवेदकगण के पिता को खुशाल द्वारा गोद ले लिया गया था। इस कारण आवेदकगण के पिता खुशाल के दत्तक पुत्र होने के कारण सम्पूर्ण भूमि पर नामांतरण कराने के अधिकारी थे, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने दत्तक पुत्र न मानकर आवेदकगण के नाम फौती नामांतरण न कर गंभीर वैधानिक भूल की है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आदेश पारित किया है, जो निरस्ती योग्य है। अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदकगण के सूचना उपरांत भी अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि खुशाल आ. खुमान की मृत्यु के पश्चात पत्नी लुढ़कोबाई वारिस थी। चूंकि लुढ़कोबाई नि:संतान थी, लुढ़कोबाई द्वारा अपने जीवनकाल में आवेदकगण के पक्ष में कोई वसीयत अथवा अन्य कोई उत्तराधिकार संबंधी दस्तावेज सम्पादित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में नायब तहसीलदार द्वारा अपने आदेश में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार पुरूष उत्तराधिकार के क्रम में न्यामित मानकर मृतक खुशाल एवं लुढकोबाई की मृत्यु उपरांत खुशाल के भाई प्यारेलाल (मृत) के पुत्र-पुत्रियों को उत्तराधिकार मानने में वरीयता प्रदान कर कोई विधिक भूल नहीं की है, जिसकी पुष्टि अनुविभागीय

अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा की गई है। इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं। इस संबंध में 2012 आर.एन. 438 तुलसीराम विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50 - तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष - पुनरीक्षण में हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं।"

उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश 30.11.2017 नीतिगत एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.11.2017 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर